(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 168–चार/1997 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–1997 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 172/1996–97/निगरानी.

—

1–बाबूराव पिता लहानु
2–मीठाराम पिता लहानु
3–जयराम पिता लहानु
समस्त निवासी ग्राम शाहपुर
तहसील बुरहानपुर जिला पूर्व निमाड़ म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामचन्द्र पिता कौतिक चान्दोडे
निवासी शाहपुर तहसील बुरहानपुर
जिला पूर्व निमाड़ म0प्र0

.....अनावेदक

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण की ओर से कलेक्टर जिला खण्डवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 66 में दर्ज कुएं को सर्वे नम्बर 67 में दर्ज करने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रचलित होकर इस न्यायालय में चला एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण

अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर मौके की स्थिति के अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराये । उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–4–1997 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–4–97 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् राजस्व मण्डल क निर्देशों का पालन करते हुये स्थल निरीक्षण किया जाकर विधिवत् आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों का बिना पालन किये एवं बिना अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कलेक्टर न्याायलय द्वारा एवं आयुक्त न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण

अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि अनावेदक को प्रकरण में सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुये प्रकरण का विधिवत् निराकरण करें। कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–1997 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.